कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश संख्या/वरिष्ठता/633/वाद सं0—1008/2020—21 दिनांक: 26 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 4019/15—2—69—27(23)/86 दिनांक 15 जुलाई 1989 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के 1670 रिक्त पदों के सापेक्ष मात्र एक शिक्षण सत्र के लिए तदर्थ नियुक्ति का प्राविधान किया गया, जिसके क्रम में तदर्थ नियुक्तियां की गई।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—3179 दिनांक 21 नवम्बर 1995 जिसके द्वारा शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं/एल0टी0 ग्रेड शिक्षकों की सेवाओं के विनियमितीकरण की राजाज्ञा जारी की गयी। शासनादेश दिनांक 21—11—95 के क्रम में **नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इन तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति का विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत/बाहर) के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली—1979/ विनियमितीकरण हेतु स्थापित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष 1999 में चयन के उपरान्त किया गया।**

श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल स0अ0एल0टी0 द्वारा शासनादेश संख्या—3179 दिनांक 21 नवम्बर 1995 में विनियमितीकरण हेतु उल्लिखित तिथि 01—10—1990 से ज्येष्ठता दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में याचिका संख्या—162/2002/(एस/बी) योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28—10—2004 को आदेश पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:—

"In the circumstances, the petitioner has been continuously serving in the L.T. Grade right from the date 19.09.1990. As such in view of the above discussion, rejection of the petitioner's representation relating to his seniority vide order dated 17.01.2003 is bad in law. Therefore, the writ petition is allowed. The mandamus is issued that the petitioner's services be treated to have been regularized in L.T. Grade w.e.f. 01.10.1990. The order dated 17.01.2003 (copy Annexure CA-5 to the counter affidavit) where by the representation of the petitioner was rejected, is quashed. The petitioner's case for promotion in the lecturer grade shall be considered in the light of the observations given in the body of the judgment considering his due seniority. No order as to costs."

मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28—10—2004 के विरूद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में विशेष अपील संख्या—28/2005 योजित की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 23—02—2006 को खारिज किया गया, फलस्वरूप शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23—02—2006 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—3396/2006 योजित की गयी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैरिट में न होने के कारण खारिज कर दी गयी। मा0 न्यायलय के आदेश क्रम में श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल को स0अ0 एल0टी0 में दिनांक 01—10—1990 से विनियमित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान की गयी, इसी क्रम में उन्हें उच्चतर पदों पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

26/

याचिका संख्या–1008/एसएस/2014 त्रिविक्रम सिंह कुंवर व अन्य, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ संयुक्त अन्य याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की युगल पीठ द्वारा दिनांक 03–01–2019 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :–

28. It is no doubt true that, unlike in the present case where the respondents/interveners are opposing grant of the benefit of regularization w.e.f. 01.10.1990 to the petitioners, no such opposition was made to the regularization of Shri Bhuwan Chandra Kandpal in Civil Writ Petition (S/B) No.162 of 2002 dated 28.10.2004. The grievance of the respondents/ interveners is with respect to their inter-se seniority vis-a-vis the petitioners herein. As on date, the Government of Uttarakhand has not revised the seniority list prepared in the year 2005. The respondents/interveners cannot, therefore, be said to have any grievance, as at present, with regards their interse seniority vis-à-vis the petitioners herein.

29. While the petitioners have no doubt sought the benefit of being extended seniority w.e.f. 01.10.1990, we see no reason to grant them such a relief in this writ petition, as that would necessitate this Court having to adjudicate upon the inter-se seniority between the petitioners on the one hand and the private respondents/interveners on the other. Suffice it, therefore, to permit the petitioners herein to make a representation to the State Government with regards their claim for seniority, consequent upon the order now passed by us treating their services to have been regularized w.e.f. 01.10.1990. On any such representation being made, the Government of Uttarakhand shall, after giving all those affected a reasonable opportunity of being heard, take a decision, regarding revision of the seniority list, in accordance with law. We make it clear that we have not expressed any opinion on the petitioners' claim of seniority, over and above the private respondents/interveners with effect from 1.10.1990.

30. All the writ petitions are disposed of declaring that, in terms of G.O. dated 21.11.1995, as construed by the learned Single Judge of this Court in Civil Writ Petition (S/B) No. 162 of 2002 dated 28.10.2004 and as affirmed by the Supreme Court in Civil Appeal No. 3396 of 2006 dated 20.04.2011, the services of the petitioners herein stood regularized w.e.f. 01.10.1990. No costs.

(R.C. Khulbe, J.)
03.01.2019

(Ramesh Ranganathan, C.J.)
03.01.2019

मा0 उच्च न्यायालय की युगलपीठ के उक्त निर्णय दिनांक 03–01–2019 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक–वि0प्र0/37621/2018–19 दिनांक 27 मार्च, 2019 एवं पत्रांक–वि0प्र0/2565/2019–20 दिनांक 27 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया। शासन के पत्र संख्या–259(1)/XXIV(नवसृजित)/2019–01(34) 2019 दिनांक 23 जुलाई, 2019 द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 03–01–2019 के तत्काल अनुपालन किये जाने के निर्देश निदेशालय को प्राप्त हुये, जिसके क्रम में

अपर निदेशक (मा0शि0) गढवाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल के आ0सं0/सेवा अराज0/विप्र0/322/3क(2)/विनियमितीकरण/2019–20 दिनांक 31–08–2019 एवं मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के आदेश संख्या/सेवायें–3क(2)/अराज0/482/2019–20 दिनांक 30 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 01–10–1990 से विनियमितीकरण किये जाने तथा अपर निदेशक (मा0शि0) गढवाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक/सेवा अराज0/6858/3क(2)/ ज्येष्ठता/ 2019–20 दिनांक 12–09–2019 एवं मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के आदेश संख्या/सेवायें–3क(2)/अराज0/518/2019–20 दिनांक 16 सितम्बर 2019 द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या के फलस्वरूप स0अ0एल0टी0 संवर्ग के याचीगण की वरिष्ठता निदेशालय के आदेश संख्या/वरिष्ठता /788/एल0टी0/19(4–5)–01/2019–20 दिनांकः 20 सितम्बर, 2019 एवं प्रवक्ता संवर्ग के याचीगण की वरिष्ठता निदेशालय के आदेश संख्या/वरिष्ठता/758/ प्रवक्ता/19(2–3)–01/2019–20 दिनांकः 18 सितम्बर, 2019 द्वारा निर्धारित की गयी।

प्रभावित पक्षों के द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण में याचिका संख्या–41/ 2019 योजित की गयी, जिसमें मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 16–10–2019 को आदेश पारित करते हुये विनियमितीकरण संशोधन आदेश दिनांक 30–08–2019 को निरूद्ध किया गया, मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा याचिका संख्या–41/2019 में पारित दिनांक 16–10–2019 के आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

"Hence, in such circumstances, till the next date of hearing the respondents are restrained from relying upon the above part of order dated 30.08.2019, and they are also directed not to act upon this part of above order for deciding the seniority from amended date, without hearing the petitioners.

Petitioners verbally submitted that seniority has been dicided without hearing them while learned A.P.O. appearing for the respondent Nos. 1 to 5, has argued that has not been done.

In such circumstances, parties are directed to submit the copy of any such order by the next date."

प्रभावित पक्षों के द्वारा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 लोक सेवा अधिकरण में पुनः याचिका संख्या–52/2019 योजित की गयी जिसमें मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 10–12–2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः–

"Learned counsel for the petitioners has also requested that he should be granted stay against the seniority list issued by the respondents. Without hearing other parties, no such order can be passed as an interim measure and it will be decided after hearing all the parties."

मा0 उच्च न्यायलय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 03–01–2019, मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों एवं शासन के पत्र संख्या–332 दिनांक 13 मई 2020 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निदेशालय के पत्रांक/ वरिष्ठता/1147–49/ 2(1)/2020–21 दिनांक 16–05–2020 द्वारा दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रभावितों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखित प्रत्यावेदन ई–मेल/पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30–05–2020 तक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। निदेशालय को प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर संकलित आख्या निदेशालय के पत्रांक/वि0प्र0/ मा0शि0/**3903** /2020–21 दिनांक **18** जून, 2020 द्वारा शासन को प्रेषित की गयी।

शासन के पत्र संख्या–475/XXIV-B-1/20–01(34)/2019 दिनांक 07 जुलाई 2020 एवं शासन के पत्र संख्या–699/XXIV-B-1/20–01(34)/2019 दिनांक 13 अगस्त 2020 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक/ 11119/वरिष्ठता(या0सं0–1008)/2020–21 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सूचना शासन को प्रेषित की गयी है, जिस पर शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

याचिका संख्या–1008/एसएस/2014 त्रिविक्रम सिंह कुंवर व अन्य, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के साथ संयुक्त अन्य याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की युगल पीठ द्वारा दिनांक 03–01–2019 को पारित आदेश के क्रम में वरिष्ठता के सम्बन्ध में शासन से निर्णय लिया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में निदेशालय के आदेश संख्या/वरिष्ठता /788/एल0टी0/19(4–5)–01/ 2019–20 दिनांकः 20 सितम्बर, 2019 द्वारा स0अ0एल0टी0 संवर्ग के याचीगण की निर्धारित वरिष्ठता एवं निदेशालय के आदेश संख्या/वरिष्ठता/758/ प्रवक्ता/ 19(2–3)–01 2019–20 दिनांकः 13 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के याचीगण की निर्धारित वरिष्ठता को स्थगित किया जाता है।

26/9/2020

(आर0के0 उनियाल)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्या/वरिष्ठता/1259-99/वाद सं0–1008/2020–21 दिनांकः उक्तांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01– सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
02– रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
03– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
04– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देरादून।
05– मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
06– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
07– सम्बन्धित याचीगण (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
08– सेवायें–1 अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
09– प्रभारी, एम0आई0एस0।
10 – कार्यालय पत्रावली।

26/9/2020

(आर0के0 उनियाल)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।